

Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs		Rs. 10 lakhs to 25 lakhs		Rs. 25 lakhs to 50 lakhs		Rs. 50 lakhs to 1 crore		Above 1 crore
	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind. HUFs
Madhya Pradesh	481	159	29	14	3	1	1	3	1 ..
Andhra Pradesh	772	233	47	8	9	2	3	1	3 ..
Mysore	729	193	19	11	1
Madras	1160	280	35	6	4	5
Kerala	454	96	27	5	3	1	1 ..
TOTAL	18044	2773	921	146	169	29	40	10	22 ..

निवृत्ति वेतन के मामले

२६००. { श्री साहोवाल्ला :
 श्री क० भे० मालवीय :
 श्री बलजीत सिंह :
 श्री न० म० देव :

क्या बिस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनका निवृत्ति वेतन के मामले निबटाने के लिये कितनी अवधि नियत की गई है ; और

(ख) निवृत्ति वेतन के कितने मामले छः महीने, एक साल, दो साल अथवा पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

बिस्म मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) इससे लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है ; पर पेंशन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निबटाने वाले सभी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है कि जिस अफसर को जिस दिन से पेंशन मिलनी हो उसे वह उनी दिन से मिलने लगे । यदि किसी खास मामले में देर लगे बिना काम न हो तो अन्त में जितनी पेंशन निश्चित होने का अनुमान हो उसके हिसाब से अफसर को कुछ रकम दी जाने लगती है ताकि उसे कष्ट न हो ।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह प्राप्त नहीं है । सारे देश में केन्द्रीय सरकार के जितने दफ्तर हैं, उनसे यह सूचना प्राप्त करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा ।

निवृत्ति वेतन

२६०१. { श्री साहोवाल्ला :
 श्री क० भे० मालवीय :

क्या बिस्म मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितना निवृत्ति वेतन मिल सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि निवृत्ति वेतन की अधिकतम सीमा नहीं निश्चित की गई है ; और

(ग) यह सीमा किन विधानों पर आधारित है ?

बिस्म मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितनी पेंशन दी जाये, इसके बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निर्धारित कर दिया गया है कि पेंशन पाने के लिये पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करने वाली अधिक से अधिक कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिये और विहित नियम के अनुसार अधिक से अधिक कितनी पेंशन दी जानी चाहिये ।

आधारभूत नियम यह है कि पेंशन की योग्यता प्रदान करने वाली ३० वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी को अधिक से अधिक पेंशन दी जाये और यह अधिकतम पेंशन कर्मचारी की सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में प्राप्त औसत उपलब्धियों को अधिक से अधिक १८०० रुपये मासिक रकम पर आधारित हो।

University Grants Commission

2902. { Shri S. M. Banerjee:
Shri Tangamani:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the question of a grant of Rs. 55 lakhs to Allahabad University is under consideration of the University Grants Commission; and

(b) if so, when a final decision will be taken?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrivastava): (a) No, Sir. In view of the special needs of the Allahabad University, the University Grants Commission have, however, agreed to give a grant of Rs. 10 lakhs to the University for construction of its library building.

(b) Does not arise.

Life Insurance Corporation

2903. Shri Damani: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation of India

gets all the shares and securities held by it registered in its own name; and

(b) if so, what is the number of shares out of its total holdings that have been registered in its names?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) As on the 15th April, 1958, shares numbering 43,54,768, out of 50,74,375, purchased by the Corporation during the period from 1st September, 1956 to 31st December, 1957, have been registered in its name.

Assistants for I.F.S. (B)

2904. Shri Surendranath Dwivedy: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of permanent Assistants from Central Secretariat Service transferred to the Ministry of External Affairs on the formulation of Grade IV of Indian Foreign Service (B);

(b) the number of permanent Assistants of Grade IV of Central Secretariat Service and Regular Temporary Establishment who did not opt and those who were not taken in Grade IV of Indian Foreign Service (B); and

(c) whether this has reduced the number of permanent posts of Assistants in the C.S.S. to be filled by departmental promotion and competitive examinations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) 91.

(b) The position is as under:—

	Permanent Assistants	R.T.E. Assistants
(i) Number of those who applied for appointment to I.F.S. (B)	232	28
(ii) Number of those who were selected	184	14
(iii) Number of those who were not selected	48	14
(iv) Number of those who were selected but who did not eventually opt for I.F.S. (B)	93	3

(c) No.